न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन्, जिला चित्तौड़गढ़

<u>''प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021''</u>

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
24 / 2021	08.04.2021	12.10.2021

अनवान

1. मुकेश मीणा पिता केशु जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खारपीना, बारापाल तहसील व जिला उदयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. घीसा पिता गोपी जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मांगु पिता गोपी जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. भैरूलाल पिता डालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. नारायण लाल पिता हजारी जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. सवाईराम पिता कजोड जाति जाट उम्र वयस्क निवासी लाखा का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. डालु पिता धूला जाति भील उम्र वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. छोगा पिता धुला जाति भील उम्र वयस्क निवासी तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द्र भाम्बी प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>::निर्णय::</u>

वकील प्रार्थी व प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के पूर्व में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 से 7 के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 06.09.2021 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। व शेष द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। वकील प्रार्थी आज दिनांक को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र तुर्कियाखुर्द में हाजिर हुए। हाजिर वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस एक तरफा

बाबत् निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 410, 411, 418 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के संयुक्त सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, तथा अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2074 – 2077 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त सहखातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा लाखा का खेडा पटवार हल्का तुर्कियाखुर्द तहसील कपासन मे ंस्थित आराजी संख्या 410, 411, 418 कुल किता 3 कुल रकबा 1.05 है0 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.11 12:48:29 IST
Reason: SelfAttested